अध्याय-3
74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

अध्याय-3

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

3.1 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ राज्य स्तरीय विधायी की तुलना

नौ नवम्बर, 2000 को उत्तर प्रदेश (उ प्र) से पृथक होकर गठित उत्तराखण्ड राज्य ने जनवरी, 2002 में शहरी स्थानीय निकायों के लिए उ प्र नगर निगम अधिनियम, 1959 और उ प्र नगरपालिका अधिनियम, 1916 को अपनाया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 243 क्यू से 243 ज़ेडजी के माध्यम से नगरपालिकाओं से संबंधित कुछ प्रावधान पुरःस्थापित किए गए हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों की राज्य स्तरीय विधान से तुलना **तालिका-3.1** में दर्शाई गई है।

तालिका-3.1: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के साथ राज्य स्तरीय विधायी की तुलना

भारतीय संविधान के प्रावधान	भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार अपेक्षित	राज्य अधिनियम/अधिनियमों के प्रावधान (धारा-वार)
अनुच्छेद 243 क्यू	**नगरपालिकाओं का गठन:** यह तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान करता है अर्थात् संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत, एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए एक नगरपालिका परिषद और एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर निगम।	उ प्र नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 3 एवं 3-ए और उ प्र नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 4।
अनुच्छेद 243 आर	**नगरपालिकाओं की संरचना:** नगरपालिका में सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएँगे और राज्य, विधि द्वारा, एक नगरपालिका में- (i) नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों (ii) लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्णतः या आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र सम्मिलित है; (iii) राज्य सभा के सदस्य और राज्य की विधान परिषद के सदस्य नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं के प्रतिनिधित्व का उपबंध कर सकेगा।	उ प्र नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9 और उ प्र नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 6।
अनुच्छेद 243 एस	**वार्ड समिति का गठन और संरचना:** यह तीन लाख या उससे अधिक की आबादी वाली सभी नगरपालिकाओं में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान करता है।	उ प्र नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 3 बी और उ प्र नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 6-ए।
अनुच्छेद 243 टी	**सीटों का आरक्षण:** प्रत्यक्ष चुनाव के लिए एस सी/ एस टी, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की जाएगी।	उ प्र नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9 ए और उ प्र नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 7।

भारतीय संविधान के प्रावधान	भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार अपेक्षित	राज्य अधिनियम/अधिनियमों के प्रावधान (धारा-वार)
अनुच्छेद 243 यू	**नगरपालिकाओं की अवधि:** नगरपालिका का अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से पाँच वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल होता है और इसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले छः महीने के भीतर या इसके विघटन के छः महीने के भीतर फिर से चुनाव होता है।	उ प्र नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 10 ए और उ प्र नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 8।
अनुच्छेद 243 वी	**सदस्यता के लिए अयोग्यता:** एक व्यक्ति को नगरपालिका के सदस्य के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा: • यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अयोग्य है। • यदि वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अयोग्य है।	उ प्र नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 13 डी और उ प्र नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 25।
अनुच्छेद 243 डब्ल्यू	**नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियां:** सभी नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियों के साथ सशक्त बनाया जाएगा जो उन्हें स्वशासन के प्रभावी संस्थानों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। राज्य सरकार ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार सौंपेगी ताकि वे 12वीं अनुसूची के संबंध में उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकें।	उ प्र नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 50, 51, 51-ए, 52, 53-ए और उ प्र नगर निगम अधिनियम, 1959 का अध्याय-V ।
अनुच्छेद 243 एक्स	**नगरपालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति, और निधियाँ**: • राज्य विधि द्वारा नगरपालिकाओं को करों, शुल्कों, चुंगी आदि को उद्ग्रहण और संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। • राज्य से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान दिया जाएगा। • नगरपालिकाओं द्वारा धन जमा करने और निकालने के लिए निधियों का गठन।	उ प्र नगरपालिका अधिनियम 1916 का अध्याय-V और उ प्र नगर निगम अधिनियम, 1959 का अध्याय IX। उ प्र नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 127 सी (ए) (iii)। उ प्र नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 114 और उ प्र नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 139।
अनुच्छेद 243 आई के साथ पठित अनुच्छेद 243 वाई	**वित्त आयोग:** राज्य सरकार वित्त आयोग का गठन करेगी जो नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और सिफारिश करेगा और ऐसे कदम उठाएगा जो नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, टोलों और चुंगी की शुद्ध आय का राज्य और नगरपालिकाओं के बीच वितरण। राज्य की संचित निधि से राज्य में नगर निकायों को निधि आवंटित करना।	उ प्र नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 127 सी और उ प्र नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 138-ए। उ प्र नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 127 सी (ए) (i) और उ प्र नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 138-ए (ए) (i)। उ प्र नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 127 सी (ए) (iii)।

भारतीय संविधान के प्रावधान	भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार अपेक्षित	राज्य अधिनियम/अधिनियमों के प्रावधान (धारा-वार)
अनुच्छेद 243 ज़ेड	**नगरपालिकाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा:** राज्य, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं द्वारा लेखाओं के रखरखाव और ऐसे लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए उपबंध कर सकेगा।	उ प्र नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 142 और 143।
अनुच्छेद 243 के के साथ पठित अनुच्छेद 243 ज़ेड ए	**नगरपालिकाओं के चुनाव:** नगरपालिकाओं के चुनाव की सभी प्रक्रियाओं का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग (एस ई सी) में निहित होगा।	उ प्र नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 13 बी और उ प्र नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 45।
अनुच्छेद 243 ज़ेड डी	**जिला नियोजन के लिए समिति:** • जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन। • जिला योजना समिति का संयोजन। • विकास योजना का मसौदा तैयार करना और राज्य सरकार को अग्रेषित करना।	उ प्र नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 127 ए और 127 बी और उ प्र नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 383-ए।
अनुच्छेद 243 ज़ेड ई	**मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के लिए समिति:** 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले प्रत्येक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी (एम पी सी) के गठन का प्रावधान।	-

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि अधिनियमित विधियाँ 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करती हैं। तथापि, कानून द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन जमीनी स्तर पर प्रभावी विकेंद्रीकरण की गारंटी नहीं देता जब तक कि प्रभावी कार्यान्वयन का पालन न किया जाए। लेखापरीक्षा ने पाया कि कानूनी प्रावधानों को निर्णायक कार्यवाइयों द्वारा समर्थित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की भावना फलीभूत नहीं हुई। यह विशेष रूप से प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए कार्यों के हस्तांतरण और उपयुक्त संस्थागत ढाँचे के सृजन से संबंधित प्रावधानों के मामले में विशेष रूप से यथार्थ था, जिनकी चर्चा अनुवर्ती अध्यायों में की गई है।